

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 139]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 20, 2015/पौष 30, 1936

No. 139]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 20, 2015/PAUSA 30, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2015

का.आ. 199(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के उपवाक्य (23क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा कर निर्धारण वर्ष 2013-2014 से 2015-16 तक उक्त उपवाक्य के प्रयोजन के लिए “इंडियन नेशनल ग्रुप ऑफ दी इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर ब्रिज एंड स्कट्रचरल इंजीनियरिंग, आईडीए बिल्डिंग, जामनगर हाऊस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110001” को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदित करती है:—

- (i) कर-निर्धारिती उक्त उपवाक्य (23क) के उपबंधों के अनुसरण में अपनी आय का इस्तेमाल अथवा इस्तेमाल हेतु अपनी आय को इकट्ठा केवल उन लक्ष्यों हेतु ही करेगा जिसके लिए इसकी स्थापना की गई है;
- (ii) कर-निर्धारिती उक्त उपवाक्य (23क) के अंतर्गत “गृह संपत्ति से आय” अथवा किसी भी विनिर्दिष्ट सेवा को प्रदान करने से प्राप्त हुई कोई आय अथवा इसके निवेश से उत्पन्न हुए व्याज अथवा लाभांश के रूप में प्राप्त कोई आय शीर्ष के तहत कर प्रभाय आय के संबंध में छूट हेतु पात्र नहीं होगा।

[अधिसूचना संख्या 4/2015/फा.सं. 196/36/2013-आ.का.नि-1]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक